रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2479] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936
No. 2479] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

आयुष मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, **4** दिसम्बर, 2014

का.आ. 3074(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 33 के सामने **"उत्तराखंड"** शीर्षक के अंतर्गत, स्तम्भ (4) के अधीन की प्रविष्टि में स्तम्भ (2) के अंतर्गत बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी से संबंधित अंक **"2013"** के स्थान पर अंक **"2014"** प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. आर-13040/83/2010-एचडी(तकनीकी)(भाग-2)]

अनिल गनेरीवाला, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची को पहली बार अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा संशोधित किया गया था और अंतिम बार का. आ. 2876(अ) तारीख 10 **नवम्बर**, 2014 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2014.

S.O. 3074(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Second Schedule, under the heading "UTTARAKHAND", against serial Number 33, relating to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery under column (2), in the entry under column (4), for the figures "2013", the figures "2014" shall be substituted.

[F. No. R-13040/83/2010-HD(Tech.)(Part—2)]

ANIL GANERIWALA, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O. 3496, dated the 11th October, 1977 and lst amended *vide* S.O. 2876(E) dated the 10th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.